



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

चयन भवन, मेन रोड़, नं.-1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

क्रमांक वीपी/विधि/ 7903/2016

भोपाल, दिनांक 19/12/16.


आदेश

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक/व्हीपी/एसी/1-7/02-08-09/7437/2013 दिनांक 18.12.2013 (मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के अधिवक्ताओं को छोड़कर) एवं आदेश क्रमांक/व्हीपी/एसी/1-7/02-08-09/3151/2014 दिनांक 20.05.2014 को निरस्त कर अधिवक्ताओं का नवीन पैनल गठित किया जाता है :

स. क्रं.	मा0 न्यायालय का नाम	अधिवक्ता का नाम
1.	उच्च न्यायालय, जबलपुर	(1) श्री पुरुषेन्द्र कौरव, अति0 महाधिवक्ता
		(2) श्रीमती स्मिता वर्मा अरोरा
		(3) श्री राघवेन्द्र कुमार झा
		(4) श्री संजीव कुमार तिवारी
		(5) श्री वरुण कुमार
		(6) श्री विनय शर्मा
		(7) श्री वेदप्रकाश नेमा
		(8) श्री प्रशांत के. बदरेया
		(9) श्री शिव कुमार तिवारी
2.	उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर	(1) श्री विवेक खेड़कर, असिस्टेंट सालीसिटर जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर
		(2) श्रीमती अनुराधा सिंह
		(3) श्री योगेश सिंघल
		(4) श्री सौरभ मिश्रा
		(5) श्री रविंद्र दीक्षित
3.	उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर	(1) श्री विक्रम भटनागर
		(2) श्री प्रणय शुक्ला
		(3) श्री योगेश माथुर

नवीन अधिवक्ता पैनल हेतु शर्तें :

- (1) बोर्ड के लिए गठित अधिवक्ता पैनल के अधिवक्ताओं द्वारा ऐसे प्रकरण जिनमें बोर्ड एक पार्टी है, प्रतिरक्षण की कार्यवाही करते समय उनमें प्रतिपक्ष की ओर से याचिका/पक्ष समर्थन इत्यादि नहीं किया जावेगा ।
- (2) बोर्ड के प्रकरणों में नियुक्त अधिवक्ताओं को वर्तमान में स्वीकृत विधिक शुल्क की राशि प्रदाय की जावेगी। जबावदावा प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत एवं निर्णय उपरांत शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावेगा।
- (3) यदि बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण में जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है एवं उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अधिवक्ता के पैरवी करने की पुष्टि नहीं होती है तो विधिक शुल्क का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- (4) उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष स्थिति/प्रकरण निर्मित होने पर, प्रकरण विशेष हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति एवं उनकी फीस का निर्धारण करने के लिये अध्यक्ष/संचालक मंडल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अधिकृत हैं ।
- (5) यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा । इसके पूर्व के प्रकरणों में पूर्व निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- (6) 07 दिवस में अपनी स्वीकृति पैनल के संबंध में प्रेषित करें ।



संचालक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल

पृ. क्रमांक वीपी/विधि/ 7904 /2016
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

भोपाल, दिनांक 19/12/16

1. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल ।
2. संचालक/अपर संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल ।
3. वित्त नियंत्रक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल ।
4. विधि शाखा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल ।
5. संबंधित अधिवक्ता श्री/श्रीमती.....

पालनार्थ प्रेषित ।


संचालक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल